

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांभर-लेक (जयपुर)

स्वै लोक अदालत केम्प

द्विगोनिया

कदमा नम्बर

कक्ष-1

शिवराम पुत्र गोपीराम

बनाम तहसीलदार किशनगढ रेनवाल (प्रतिवादी)

दावा दुरस्ती इन्द्राज अर्न्तगत धारा 88,89

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादी की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का वाद निम्न प्रकार है :-

ग्राम द्विगोनिया पटवार हल्का द्विगोनिया तहसील किशनगढ के आराजी खसरा नम्बर 473/1, 474, 476/1, 477/2, 490/1

में वादी का नाम व विवरण श्रीशिवराम पुत्र गोपीराम

के स्थान पर

शिवराम पुत्र गोपीराम

पर दुरस्त किया जावे।

उपरोक्त वाद के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दस्तावेजों के अवलोकन करने तथा रिपोर्ट पटवारी/भू.अ.नि./तहसीलदार की अभिशंसा के आधार पर एवं केम्प कोर्ट में मजमेंआम में जांच की जाने पर उक्त दुरस्ती से किसी सहखातेदार का हित प्रभावित नहीं होने से वादी का वाद डिकी किया जाना उचित है।

अतः वादी का वाद डिकी किया जाकर निम्न प्रकार आवेश दिया जाता है

वर्तमान प्रविष्टि	आवेष्टित शुद्ध प्रविष्टि
<p>श्रीराम पुत्र जीपीराम                      आश हिमोर्षि से                      क्र.नं ५७३, ५७५, ५७६                      ५७७, ५७८/१</p>	<p>श्रीराम पुत्र गोपीराम                      आश हिमोर्षि से                      क्र.नं ५७३, ५७५, ५७६                      ५७७, ५७८/१</p>

क्र.नं ५७/१८  
 १६/५/१८

उपरोक्त डिकी अनुसार तहसीलदार ..... (क्र. २-१९/१८)  
 को राजस्व रिकार्ड में अमल दरावद हेतु लिखा जावे।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Original

38/7/18  
 16/5/18  
 सहायक कलेक्टर, उपखण्ड सजिस्ट्रेट,  
 सांभर-लेक (जयपुर)